न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **12/2018 अपील रसद**

श्री नाथुलाल मीणा, उचित मुल्य दुकानदार आड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर मुकदमा नम्बर 96/16 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्राम आड तहसील गिर्वा का प्राधिकार पत्रधारी होकर नियमानुसार व्यवसाय करता हैं। परन्तु कुछ लोग फ्री में सामान लेना चाहते है। जिन्हे इन्कार करने पर शिकायत कर दी गई। राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध गलत केस बनाया गया। मौके पर टॉवर नहीं आने से पोस मशीन का संचालन नहीं कर सका जिस कारण पॉच माह का राशन उपभोक्ताओ को उनके राशन कार्ड के आधार पर दिया गया। परन्तु गलत आरोप लगाया गया कि तीन माह के राशन का फर्जी इन्द्राज कर दिया गया

हैं। वक्त निरीक्षण 44 राशनकार्डो की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा भी राशनकार्डो पर पॉच माह का बराबर राशन दिया गया है जिसका इन्द्राज रजिस्टर में भी किया हुआ हैं। जितने भी आरोप अपीलार्थी पर लगाये गये है वह आधारहीन व बेबुनियाद हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी की कोई शहादत सबुत नहीं लेकर केवल कयासी आधारो पर जो आदेश पारीत किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अपीलार्थी का लाईसेन्स 90 दिन हेतु निलम्बित किया गया जिसे पुनः चालु नहीं कर अचानक ही दिनांक 10.05.18 को लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट के उपर राजनैतिक द्वेषतावंश गलत केस बनाया गया हैं। अपीलान्ट की वैकल्पिक व्यवस्था जिस व्यक्ति को दी गई है उसके द्वारा भी आज दिन तक बराबर स्टॉक रजिस्टर द्वारा ही वितरण किया जाता रहा हैं। अपीलान्ट के पास में एक भी राशनकार्ड नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने मर्जीमकसूद तरीके से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया। अपीलान्ट द्वारा फर्जी इन्द्राज कर गेहूॅ चीनी व केरोसीन का निजी लाभ कमाये जाने हेतु कोई वितरण नहीं किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के मुकाबले किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये तथा कयासी आधार पर जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश 10.05.18 को निरस्त फरमाया जाकर लाईसेन्स व सिक्युरिटी बहाल किये जाकर पुनः वितरण व्यवस्था दी जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट से

कुछ लोग फ्री में राशन सामग्री चाहते है जिन्हे मना कर देने से उनके द्वारा झूठी शिकायत कर दी गई। शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा राजनैतिक प्रभाव से अपीलार्थी की अनुपस्थिति में जॉच करते हुए जॉच में 44 राशनकार्डो का अवलोकन बताकर केवल दो माह के गेहूॅ चीनी व केरोसीन का वितरण बताया जाकर शेष तीन माह का अनुचित लाभ कमाने हेतु उपभोक्ताओ को गेहूॅ नहीं देकर 32.7 क्विंटल गेहूॅ का गबन किया जाना बताया गया हैं एवं 49 राशनकार्डधारी उपभोक्तओ को नियंत्रित चीनी से वंचित कर कुल 178.4 किलो चीनी का दुरूपयोग किया जाना बताया गया है एवं 528 लीटर नीले केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना बताया गया हैं एवं जॉच में सहयोग नहीं किया जाना बताया गया हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जॉच की गई। डीलर द्वारा जब भी जॉच में उसकी आवश्यकता हुई उसने पुरा सहयोग दिया। अपीलान्ट द्वारा सेन्टर पर टॉवर नहीं आने से उपभोक्ताओ को राशनकार्ड के आधार पर पॉच माह का राशन वितरीत किया गया। किसी भी राशनकार्डधारी को खाद्यान्न से वंचित नहीं रखा। वितरण का इन्द्राज भी रजिस्टर में किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के मुकाबले किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये तथा कयासी आधारो पर जो आदेश पारित किया गया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। सेन्टर पर टॉवर नहीं आने की बात डी एस ओ साहब को बता दी थी तो उन्होने कहा की आप स्टॉक रजिस्टर से वितरण करें। जहॉ तक कि अपीलान्ट की वैकल्पिक व्यवस्था जिस व्यक्ति को दी गई है वह आज दिन तक बराबर स्टॉक रजिस्टर द्वारा ही वितरण कर रहा हैं। डीलर के पास में किसी भी उपभोक्ता का राशनकार्ड या आधार कार्ड नहीं था। सारी जॉच अनुपस्थिति में की गई। 32.7 क्विंटल गेहू का खुर्द बुर्द किया जाना 178.4 क्विंटल चीनी का दुरूपयोग किया जाना एवं 528 लीटर नीले केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना जॉच अधिकारी द्वारा बताया गया वह किस आधार

पर लिखा है जो जॉच की गई वह अपीलान्ट के रूबरू की जानी चाहिये थी। इस प्रकार वास्तविक स्थिति को ना तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा देखा गया नाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डीलर को पर्याप्त साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। एवं जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसे भी अनदेखा करते हुए आदेश पारीत कर दिया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट को सेन्टर आड की पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट की शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत पोपल्टी द्वारा की गई। ग्रामवासियो द्वारा भी विधायक महोदय को की गई। जिनके द्वारा मुल ही शिकायत आवश्यक जॉच हेतु जिला रसद अधिकारी को प्रेषित की गई। प्राप्त शिकायत पर डीलर के रेकार्ड की विस्तृत जॉच की गई। जॉच में डीलर के विरूद्ध निम्न अनियमितताएँ पायी गईः—

1. डीलर द्वारा आज दिनांक तक पीओएस मशीन का संचालन नहीं किया हैं।

2. राशनकार्डधारी उपभोक्ताओ द्वारा विगत दो माह से डीलर द्वारा उनके राशनकार्डो को अपने कब्जे में रखना बताया व दिनांक 02.06.15 को जॉच से पूर्व उनमें 3 माह के फर्जी इन्द्राज कर राशन सामग्री देते समय लौटाया गया जिससे मजबूर होकर शिकायत करनी पड़ी।

3. मौके पर लोगो द्वारा उनके आधार कार्ड भी डीलर द्वारा प्रलोभन देकर अपने कब्जे में रखना बताया।

4. वक्त जॉच 44 राशनकार्डो का अवलोकन करने पर सभी में डीलर द्वारा विगत 5 माह जनवरी 16 से मई 16 के मध्य समस्त उपभोक्ताओ को केवल 2 बार फरवरी व अप्रेल 16 में गेहूँ, चीनी व केरोसीन का वितरण किया गया।

5. दौराने जॉच विगत पॉच माह में 42 राशनकार्डो पर 204 यूनिट को व 2 अन्त्योदय उपभोक्ताओ को गेहूॅ नहीं देकर व उसका अनुचित लाभ कमाने हेतु खुर्द बुर्द कर कुल 32.7 क्विं. गेहूॅ का गबन किया गया हैं।

6. बीपीएल व अन्त्योदाय 49 राशनकार्डधारी उपभोक्ताओ को नियंत्रित चीनी से वंचित कर कुल 176.4 किलो चीनी का दुरूपयोग डीलर श्री नाथूलाल द्वारा किया गया हैं।

7. डीलर द्वारा इस अवधि में 44 राशनकार्डधारी उपभोक्ताओ को नियंत्रित केरोसीन से वंचित रखकर व राशनकार्ड में फर्जी ईन्द्राज कर 528 लीटर नीले केरोसीन का दुरूपयोग किया हैं।

8. मौके पर पहुॅच कर डीलर से दुरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उसने फोन नहीं उठाया व उसके घर जाने पर अन्दर छुप गया व जॉच में सहयोग नहीं किया।

ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का दोषी माना जाकर अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया हैं। जिसे बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मिथ्या कथन अंकित करते हुए अपने आप को निर्दोष माना हैं। जबकि अपीलार्थी कि शिकायत उपभोक्ताओ द्वारा की गई हैं। कोई राजनैतिक कारणो से शिकायत नहीं की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर जॉच में भी सहयोग नहीं किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विस्तृत राशनकार्डो के आधार पर जॉच की गई। जॉच में अपीलार्थी पर लगे आरोप पूर्णतया साबित पाये जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा राशन के पात्र उपभोक्ताओ

को राशन सामग्री वितरण ना कर अपने रेकार्ड में फर्जी इन्द्राज करते हुए गेहूॅ चीनी व केरोसीन का दुरूपयोग करते हुए निजी लाभ कमाया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओ के हित में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर